"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—आश्विन 21, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेमलाल लोधी आत्मज स्व. जिवराखन लोधी उम्र 54 वर्ष, वर्तमान पता-श्रद्धा सुमन स्कूल के पास, सनातन नगर वार्ड नं.-8 कोहका भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम हिरेतरा, पोस्ट आफिस-पेण्ड्रावन, थाना व तहसील- धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रेमलाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम प्रेमलाल लोधी आ. स्व. जिवराखन लोधी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रेमलाल लोधी आ.स्व. जिवराखन लोधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रेमलाल पिता-जिवराखन निवासी-वर्तमान पता-श्रद्धा सुमन स्कूल के पास, सनातन नगर, वार्ड नं.-8, कोहका भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम-हिरेतरा, पोस्ट आफिस-पेण्ड्रावन, थाना व तहसील-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रेमलाल लोधी पिता-स्व. जिवराखन लोधी निवासी-वर्तमान पता-श्रद्धा सुमन स्कूल के पास, सनातन नगर, वार्ड नं.-8, कोहका भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम-हिरेतरा, पोस्ट आफिस-पेण्ड्रावन, थाना व तहसील-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती हर्षा बेन पटेल ध. प. श्री निरंजन कुमार पटेल, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-7/डी, सड़क नं.-09, सेक्टर-04, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे कुछ आवश्यक दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती हर्षा बेन पटेल दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है. उनके सर्विस रिकार्ड में तथा कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती हर्षा बेन एन. पटेल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती हर्षा बेन पटेल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती हर्षा बेन पटेल ध. प. श्री निरंजन पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती हर्षा बेन एन. पटेल
(Smt. Harsha Ben N. Patel)
पति-श्री निरंजन कुमार पटेल
(Shri Niranjan Kumar Patel)
निवासी--क्वा. नं.-7/डी, सड़क नं.-09,
सेक्टर-04, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती हर्षा बेन पटेल
(Smt. Harsha Ben Patel)
पति-श्री निरंजन कुमार पटेल
(Shri Niranjan Kumar Patel)
निवासी--क्वा. नं.-7/डी, सड़क नं.-09,
सेक्टर-04, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप ड्रोलिया आत्मज श्री नागरमल ड्रोलिया, निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड, अशोकारतन, खम्हारीडीह, शंकरनगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम दिलीप कुमार अग्रवाल था तथा यही नाम से मुझे जाना व पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम दिलीप कुमार ड्रोलिया रख लिया हूं तथा इस आश्य के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं

अत: अब मुझे दिलीप कुमार ड्रोलिया आ. श्री नागरमल ड्रोलिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दिलीप कुमार अग्रवाल
पिता-श्री नागरमल ड्रोलिया
निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड,
अशोकारतन, खम्हारीडीह,
शंकरनगर रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

दिलीप कुमार ड्रोलिया
पिता-श्री नागरमल ड्रोलिया
निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड,
अशोकारतन, खम्हारीडीह,
शंकरनगर रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश चतुरसिंग पारदासानी, आत्मज स्व. चतुरसिंग पारदासानी, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-11/बी. सड़क-6 सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे पेनकार्ड में मेरा सही नाम सुरेश चतुरसिंग पारदासानी दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश कुमार पारदासानी, सुरेश सी. पारदासानी तथा सुरेश पारदासानी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम सुरेश चतुरसिंग पारदासानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुरेश चतुरसिंग पारदासानी आ. स्व. चतुरसिंग पारदासानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुरेश कुमार पादासानी
सुरेश सी. पारदासानी
सुरेश पारदासानी
पिता-स्व. चतुरसिंग पारदासानी
निवासी-क्वा. नं.-11/बी. सड़क-6
सेक्टर-4, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुरेश चतुरसिंग पारदासानी
पिता-स्व. चतुरसिंग पारदासानी
निवासी-क्वा. नं.-11/बी. सड़क-6
सेक्टर-4, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती एकता सिंह ध. प. धनंजय कुमार सिंह, उम्र 37 वर्ष, जाति-राजपूत, निवासी-क्वा. नं. 32/सी., क्रास स्ट्रीट-1, सेक्टर-1 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम एकता कुमारी आत्मजा कमला कान्त तथा आधार कार्ड में शीला देवी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा विवाह 21-06-1993 को श्री धनंजय कुमार सिंह के साथ संपन्न हुआ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है. उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम शीला देवी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्रीमती एकता सिंह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती एकता सिंह ध. प. श्री धनंजय कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एकता कुमारी, शीला देवी
(Ekta Kumari, Sheela Devi)
पिता-श्री कमला कान्त सिंह
निवासी-क्वा. नं. 32/सी., क्रास स्ट्रीट-1,
सेक्टर-1 भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती एकता सिंह
(Smt. Ekta Singh)
पति-श्री धनंजय कुमार सिंह
निवासी-क्वा. नं. 32/सी., क्रास स्ट्रीट-1,
सेक्टर-1 भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रज्ञा निषाद आत्मजा श्री रतिराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी-म. नं.-4/1640, उछला तालाब, उत्कल बस्ती, रामकुंड, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम ठगिया निषाद था तथा यही नाम से मैं जानी व पहचानी जाती थी, यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक खाता व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रज्ञा निषाद रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे प्रज्ञा निषाद आत्मजा रतिराम निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ठगिया निषाद
पिता-श्री रतिराम निषाद
निवासी-म. नं.-4/1640, उछला तालाब,
उत्कल बस्ती, रामकुंड, रायपुर,
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

प्रज्ञा निषाद
पिता-श्री रतिराम निषाद
निवासी-म. नं.-4/1640, उछला तालाब,
उत्कल बस्ती, रामकुंड, रायपुर,
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उत्तम सिंह आत्मज श्री मंगल सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी-म. नं.-332, सड़क नं.-12 वार्ड नं.-1, माडल टाउन, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम उत्तम सिंह दर्ज है, किन्तु दुर्ग में मेरे नाम से खरीदी गई संपत्ति के राजस्व रिकार्ड में मेरा पूर्व नाम उत्तम कुमार साहा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम उत्तम सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे उत्तम सिंह आ. श्री मंगल सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

उत्तम कुमार साहा
पिता-श्री मंगल कुमार साहा
निवासी-म. नं.-332, सड़क नं.-12
वार्ड नं.-1, माडल टाउन,
मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

उत्तम सिंह
पिता-श्री मंगल सिंह
निवासी-म. नं.-332, सड़क नं.-12
वार्ड नं.-1, माडल टाउन,
मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बुद्धूलाल कसेर आत्मज स्व. जुगरूसाव कसेर, उम्र 63 वर्ष, निवासी-म. नं.-217, वार्ड नं.-7, शिक्षक नगर, दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र पेन कार्ड तथा मेरे नाम की अन्य भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम बुद्धूलाल कसेर दर्ज है जो कि मेरा सही नाम है. किन्तु दुर्ग में मेरे एक अन्य जमीन के राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम बुद्धालाल दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम बुद्धूलाल कसेर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे बुद्धूलाल कसेर आ. स्व. जुगरूसाव कसेर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बुद्धालाल पिता-स्व. जुगरूसाव कसेर निवासी-म. नं.-217, वार्ड नं.-7, शिक्षक नगर, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बुद्धूलाल कसेर पिता-स्व. जुगरूसाव कसेर निवासी-म. नं.-217, वार्ड नं.-7, शिक्षक नगर, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ए. दुष्यंत देवांगन आत्मज स्व. शिवकुमार देवांगन, उम्र 46 वर्ष, निवासी-मानस भवन, दुर्गा चौक, शंकर नगर, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम दुष्यंत देवांगन था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों, आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम ए. दुष्यंत देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ए. दुष्यंत देवांगन आ. स्व. शिवकुमार देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दुष्यंत देवांगन पिता-स्व. शिवकुमार देवांगन निवासी-मानस भवन, दुर्गा चौक, शंकर नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	ए. दुष्यंत देवांगन पिता-स्व. शिवकुमार देवांगन निवासी-मानस भवन, दुर्गा चौक, शंकर नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ. ग.)

प्र.क्र./ब-113 (1)वर्ष 2016-17

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2017

क्रमांक/ /अ. वि. अ./ ट्रस्ट/2017.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद मोहसीन खॉ पिता स्व. मोहम्मद यूनूस खॉ निवासी मस्जिद क्वार्टर नं. 38/929 होलीक्रास स्कूल बैरन बाजार रायपुर ने "फतिमा रशीद खॉ एण्ड सिराजून निसा युनूस खॉ मेमेरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" पता-मस्जिद क्वार्टर नं. 38/929 होलीक्रास स्कूल बैरन बाजार रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"फतिमा रशीद खॉ एण्ड सिराजून निसा युनूस खॉ मेमेरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" पता-मस्जिद क्वार्टर नं. 38/929 होलीक्रास स्कूल बैरन बाजार रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	5,000/- रु. (पांच हजार रुपये मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 23-10-2017 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 26-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

हरवंश सिंह मिरी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/2183.—गतौरी फल-फूल एवं सब्जी उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. गतौरी पं. क्र. 3810 दिनांक 14-10-96 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/648 दिनांक 29-05-06 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/863 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा श्री अरूण शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत गतौरी फल-फूल एवं सब्जी उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. गतौरी पं. क्र. 3810 दिनांक 14-10-96 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2017

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2017/2184.— आदर्श गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. घुटकू, पं. क्र. 3864 दिनांक 24-06-1997 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/334 दिनांक 15-03-2005 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/1745 दिनांक 25-05-2010 के द्वारा श्री अतुल कुमार सहकारी निरीक्षक (सह. वि. अधि. तखतपुर) को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत आदर्श गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. घुटकू, पं. क्र. 3864 दिनांक 24-06-1997 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ..

यह आदेश आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.